न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारीः–राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः–34/2017 वाद पत्र

उनवान

1–सोहनलाल पिता तारा रेगर निवासी रायपुर तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)

वादी

बनाम

1–जगदीशचन्द्र पिता बालुराम ब्राह्मण निवासी रायपुर तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
2–गोविन्दराम पिता बालुराम ब्राह्मण निवासी रायपुर तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
3–बैंक ऑफ बडौदा जरिये शाखा प्रबन्धक रायपुर तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
4–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित
1. फारूख मोहम्मद –

अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक 06.06.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट रायपुर में पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सुरजपुरा पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे वादी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की नवीन आराजी संख्या 4079 रकबा 0.65 है0 भूमि स्थित है उक्त आराजियात वादी ने दिनांक 08.09.1988 को तत्कालिन खातेदार श्रीमति गंगादेवी पत्नी केसाराम बलाई से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय कर कब्जा प्राप्त किया वक्त क्रय से ही वादी उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी द्वारा क्रय की गई भूमि के पडोस विक्रय पत्र में अंकित किये है जिनके बीच में उक्त भूमि स्थित है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 सामलाती खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजी संख्या 4073, 4074, 4075, 4076, 4077, 4078 कुल किता 6 कुल रकबा 1.10 है भूमि स्थित है प्रमाण मे जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 प्रस्तुत है। वादी की नवीन आराजी संख्या 4079 जिसके साबिक नम्बर 914/5 रकबा 3 बीघा थे तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नवीन आराजियात के साबिक नम्बर 914/4 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा थे प्रमाण में साबिक जमाबन्दी सम्वत 2050 से 2053 एवं मिलान क्षैत्रफल प्रस्तुत है। वादी की साबिक आराजियात एवं प्रतिवादी संख्या एक व दो साबिक आराजियात का साबिक नक्शा मौके के अनुसार एवं कब्जे के अनुसार एक ही चक मै था। लेकिन दौरान सेटलमेंट के राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने बिना किसी विधिक आदेश के वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक व दो की साबिक आराजियात के नवीन नक्शे को तरमीम करने के दौरान मौके की स्थिती एवं कब्जे कर स्थिती को गलत रूप से फीट करते हुये कायम कर दिया जिसे पुनः साबिक नक्शे के अनुरूप तरमीम कराया जाने की घोषणात्मक डिक्री वादी को जारी कराया जाना आवश्यक हो गया है इस हेतु वादी को यह वादपत्र प्रस्तुत करना पडा है। सेटलमेंट के दौरान वादी की नवीन आराजी संख्या 4079 रकबा 0.65 है0 को प्रतिवादी संख्या एक व दो के पुराने कब्जे की जगह फीट कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की नवीन आराजी संख्या 4073 रकबा 0.32 है0 व 4074 रकबा 0.32 है को दो अलग अलग टुकडों में नवीन नक्शे में जहां वादी काबिज है वहां फीट कर दिया है जिसे पुनः दुरस्त कराया जाकर मौके की स्थिती के अनुसार नवीन नक्शे में दर्ज कराये जाने की घोषणात्मक डिक्री आवश्यक हो गया है। वादी ने कई मर्तबा अपने नवीन नक्शे में दुरस्ती कराने हेतु प्रतिवादीगण को कहा लेकिन प्रतिवादी हर बार टालमबाजी का जबाव देते रहे है वादी ने अंतिम बार दिनांक 12.03.2017 को कहा लेकिन प्रतिवादीगण इन्कार करने से वादी को

यह वादपत्र पेश करने हेतु विवश होना पडा है। प्रतिवादी संख्या एक व दो प्रभावित पक्षकार होने से एवं प्रतिवादी संख्या तीन के रहन का इन्द्राज प्रतिवादी संख्या एक व दो आराजियात पर होने से एवं प्रतिवादी संख्या चार भूमिधारी होने से आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी बनाये गये हैं। बिनाय वाद दिनांक 12.03.2017 से उत्पन्न होकर निरंतर जारी है और यह वादपत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 03.05.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादी सख्या 01 व 02 स्वयं उपस्थित है जिन्होने जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 में नोटिस जारी किये गए। नोटिस की पालना में वादी एवं प्रतिवादी 01 व 02 स्वय उपस्थित हुए तथा प्रतिवादी संख्या 04 भी उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 04 औपचारिक पक्षकार बनाये गए है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की और से राजीनामा पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। राजीनामा के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज आराजी नम्बर 4074 रकबा 0.32 है0 4073 रकबा 0.32 है0 कुल 0.64 है0 वादी के नाम दर्ज एवं वादी के नाम दर्ज आराजी सख्या 4079 रकबा 0.65 है0 प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कराने में सहमत है। सहमति के आधार पर डिक्री जारी की जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम दर्ज आराजी नम्बर 4074 रकबा 0.32 है0 4073 रकबा 0.32 है0 कुल 0.64 है0 वादी के नाम दर्ज एवं वादी के नाम दर्ज आराजी सख्या 4079 रकबा 0.65 है0 प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन एंव प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर वादी अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण न्यायालय वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता है। अतः

आदेश

ग्राम सुरजपुरा पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे स्थित प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम दर्ज आराजी नम्बर 4074 रकबा 0.32 है0 4073 रकबा 0.32 है0 कुल 0.64 है0 वादी के नाम दर्ज एवं वादी के नाम दर्ज आराजी सख्या 4079 रकबा 0.65 है0 प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किया जाने एवं रहन का इन्द्राज पूर्व दर्ज से हटाया जाकर परिवर्तित आराजी पर करने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। राजीनामा पत्र दिनांक 06/06/2018 आदेश का भाग माना जाए।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 06.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

पगरस का आराजी संख्या ...

मूल वाद मे अंतिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः–राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः–34 / 2017 वाद पत्र

उनवान

1–सोहनलाल पिता तारा रेगर निवासी रायपुर तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)

वादी

बनाम

1–जगदीशचन्द्र पिता बालुराम ब्राह्मण निवासी रायपुर तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
2–गोविन्दराम पिता बालुराम ब्राह्मण निवासी रायपुर तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
3–बैंक ऑफ बडौदा जरिये शाखा प्रबन्धक रायपुर तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
4–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादी स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार रायपुर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम सुरजपुरा पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे स्थित प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम दर्ज आराजी नम्बर 4074 रकबा 0.32 है0 4073 रकबा 0.32 है0 कुल 0.64 है0 वादी के नाम दर्ज एवं वादी के नाम दर्ज आराजी सख्या 4079 रकबा 0.65 है0 प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किया जाने एवं रहन का इन्द्राज पूर्व दर्ज से हटाया जाकर परिवर्तित आराजी पर करने का आदेश` दिया जाता है। राजीनामा पत्र दिनांक 06 / 06 / 2018 आदेश का भाग माना जाए।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

यह आज तारीख 06 / 06 / 2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा